



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230428
CG-DL-E-14102021-230428

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 460]
No. 460]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2021

फा. सं. एनसीटीई—रेगु.10122/8/2020—यूएस(विनियमन)—एचक्यू.—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 32 की उप-धारा (1) तथा धारा (32) की उप-धारा (2) के खंड (च) और (ज) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, एतद्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 को संशोधित करते हुए पुनः एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है। अर्थात्:—

- लघु शीर्षक तथा प्रवर्तन :- (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि) संशोधन विनियम, 2021 कहलाएंगे।
(2) वे सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 में, परिशिष्ट-15 में, अनुच्छेद-1 के स्थान पर, निम्नलिखित अनुच्छेद को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“1. प्रस्तावना

एकीकृत बी.एड.—एम.एड. कार्यक्रम शिक्षा में तीन वर्ष का पूर्णकालिक व्यावसायिक कार्यक्रम है, जिसमें तीन वर्षों के अध्ययन को पूरा करने से पहले बीच में छोड़ने का कोई विकल्प नहीं है। इसका उद्देश्य शिक्षा में अध्यापक, अध्यापक-शिक्षकों और अन्य व्यावसायिकों को तैयार करना है, जिनमें पाठ्यचर्या, विकासकर्ता, शिक्षा नीति विश्लेषक, शैक्षिक आयोजक और प्रशासक, स्कूल प्रिंसिपल, पर्यवेक्षक और शिक्षा के क्षेत्र के अनुसंधानकर्ता भी शामिल हैं। कार्यक्रम के पूरा होने पर एकीकृत तीन वर्षीय बी.एड.—एम.एड की उपाधि प्राप्त होगी।”

केसांग वाई. शेरपा, सदस्य सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./331/2021-22]

नोट : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड 4, दिनांक 1 दिसंबर, 2014 में अधिसूचना संख्या एफ.51-1/2014/एनसीटीई(एन और एस), दिनांक 28 नवंबर, 2014 को प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्या एफ.एनसीटीई-रेगु.1011/80/2018-एमएस (विनियमन)—मुख्यालय, दिनांक 29 मार्च, 2019 द्वारा संशोधित किए गए थे।

**NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2021

F. No NCTE-Regl022/8/2020-US(Regulation)-HQ.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 32 and clause (f) and (h) of sub-section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby makes the following amendments further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely:-

1. Short title and commencement.—(1)These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedures) Amendment Regulations, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, in the Appendix-15, for paragraph-1, the following paragraph shall be substituted, namely:-

"1. Preamble

The integrated B.Ed.-M.Ed. Programme is a three year full-time professional programme in education, without any option of intermediate exit before completing the three years of study. It aims at preparing teacher, teacher educators and other professionals in education, including curriculum developers, educational policy analysts, educational planners and administrators, school principals, supervisors and researchers in the field of Education. The completion of the programme shall lead to integrated three-year B.Ed.-M.Ed. degree."

KESANG Y. SHERPA, Member Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./331/2021-22]

Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 1st December, 2014, vide notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated the 28th November, 2014 and were last amended vide notification number F.NCTE-Regl011/80/2018-MS (Regulation)-HQ, dated the 29th March, 2019.